न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 08/2014 **दायरा दिनांक : 01.01.2014**

उनवान

सुरेश कुमार पुत्र दूलीचन्द, जाति मीणा, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– गणेशीबाई पत्नी स्वर्गीय धन्नालाल, जाति माली, निवासी सीसवाली हाल निवासी ईटावा, जिला कोटा

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल

3– राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय, बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित –श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री भारत सिंह अडसेला अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 06.09.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम जिला कलेक्टर, बारां के प्रकरण संख्या – डीआरए/725/2013 निर्णय दिनांक 08.10.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्थान सरकार उपनिवेशन क्षैत्र (चम्बल परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नम्बर 3343 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 3344 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 3345 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 3346 रकबा 0.04 हेक्टर कुल 0.27 हेक्टर की आराजियात में नीलामी प्रक्रिया द्वारा ग्राम पंचायत सीसवाली में दिनांक 22.04.2013 को उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के आदेशानुसार दिनांक 05.04.2013 को विक्रय हेतु बोली लगवाई गयी । रेस्पोडेंट गणेशीबाई द्वारा दिनांक 25.04.2013 को एक

प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल को प्रस्तुत किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त कर जिला कलेक्टर, बारां को भिजवाई गयी । जिला कलेक्टर, बारां के द्वारा जांच रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के आधार पर उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि की नीलामी अस्वीकृत किये जाने तथा बोली दाताओं द्वारा यदि कोई अमानत राशि जमा कराई गयी हो, तो उसे तुरन्त वापस किये जाने के आदेश पारित करने से अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2013 की जानकारी दिनांक 14.10.2013 को जरिये कार्यालय तहसील मांगरोल से सूचना दिये जाने पर हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड ए0 डी0 तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने के कारण एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जो निर्णय दिनांक 08.10.2013 को आदेश पारित किया गया है वह विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी के तहत पेश किये गये फर्द दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया । प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजात प्रमाणित प्रतियां नहीं है और ना ही इस प्रकरण में इनकी उपयोगिता है । इसलिए इन दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाना हम उचित

नहीं समझते हैं । अतः प्रार्थना पत्र आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी एवं सपठित धारा 151 को स्वीकार किया जाता है ।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम सीसवाली में दिनांक 22.04.2013 को लगाई गयी बोली केवल पटवारी द्वारा ही लगवाई गयी है और बोली प्रक्रिया के दौरान वहां कोई सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं थे । विवादित खसरा नम्बर 3343, 3344, 3345, 3346 में से खसरा नम्बर 3343 व 3346 पर गणेशीबाई का गत 50 वर्षों से कब्जा (अतिक्रमण) होना अंकित किया है । अपीलांट बोलीदाता के शपथ पत्र पर उसके हस्ताक्षर भी प्रमाणित नहीं है । विवादित भूमि ग्राम में सड़क के किनारे होने से बेशकीमती है एवं ग्राम वासियों ने इन नीलामियों के संबंध में शिकायत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किय हैं । सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा बोली को निरस्त करने की अनुशंषा की है । इस आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा दिये गये आदेश में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं पाई जाती है तथा जिला कलेक्टर इस तरह का आदेश पारित करने के लिए सक्षम अधिकारी है । अपील के माध्यम से हम इस प्रकरण में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्रमांक/डी. आर.ए./725/2013 दिनांक 08.10.2013 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा